

असम में वदिशी अधकिरण

स्रोत: द हद्दि

हाल ही में असम सरकार ने राज्य पुलसि की सीमा वगि से कहा कविह वर्ष 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुसलमि प्रवासियों के मामलों को वदिशी अधकिरणों (Foreigners Tribunal- FT) को अग्रेषति न करें।

- यह नागरकिता (संशोधन) अधनियिम 2019 के अनुरूप था, जो अफगानसितान, बांग्लादेश और पाकसितान से उत्पीड़न के कारण प्रवास करने वाले हद्दि, सखि, ईसाई, पारसी, जैन तथा बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के लयि नागरकिता का आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है।

वदिशी अधकिरण (FT) से संबंधति प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- परचिय:**
 - वदिशी अधकिरण (FT) अर्द्ध-न्यायकि नकिय होते हैं, जनिका गठन केंद्र सरकार द्वारा वदिशियों वषियक अधनियिम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत वदिशी वषियक (अधकिरण) आदेश, 1964 के माध्यम से कयिा गया है जिसका उद्देश्य कसिी राज्य में स्थानीय प्राधकिारियों को कसिी संदग्धि वदिशी व्यक्ती को अधकिरण के पास भेजने की अनुमति प्रदान करना है।
 - वदिशी वषियक (अधकिरण) आदेश (2019 संशोधन): मूल आदेश में वर्ष 2019 में कयिा गया संशोधन केवल यह रूपरेखा प्रदान करता है कि अधकिरण उन व्यक्तियों की अपीलों पर कसि प्रकार नरिणय लेंगे जो NRC के लयि दायर अपने दावों और आक्षेपों के परणाम से तुष्ट नहीं हैं।
 - गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में जलिा मजसि्ट्रेटों को अधकिरण स्थापति करने का अधकिार भी प्रदान कयिा है।
 - ये सभी आदेश संपूर्ण देश में क्रयिान्वति हैं और राज्य वशिषिट नहीं हैं।
 - हालाँकि इस आदेश के तहत वदिशी अधकिरण केवल असम में स्थापति कयि गए हैं और देश के कसिी अन्य राज्य में नहीं तथा इस प्रकार यह संशोधन वर्तमान में केवल असम के लयि प्रासंगकि प्रतीत होता है।
 - इसके अतरिकित अन्य राज्यों में "अवैध अप्रवासियों" के मामलों पर नरिणय वदिशियों वषियक अधनियिम के अनुसार लयिा जाता है।
 - मामलों के प्रकार:** FT को दो प्रकार के मामले प्राप्त होते हैं:
 - जनिके लयि सीमा पुलसि द्वारा "संदर्भ" दयिा गया है।
 - जनिके नाम मतदाता सूची में D [Doubtful (शंकास्पद)] मतदाता के रूप में दर्ज है।
 - 'D' अथवा शंकास्पद मतदाताओं के मामलों को भारत के नरिवाचन आयोग द्वारा भी FT को भेजा जा सकता है।
 - संरचना:**
 - प्रत्येक FT की अध्यक्षता न्यायाधीशों, अधविकताओं और न्यायकि अनुभव वाले सविलि सेवकों में से चुने गए सदस्यों द्वारा की जाती है।
 - न्यायाधीशों/अधविकताओं को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दशिा-नरिदेशों के अनुसार वदिशी अधकिरण अधनियिम, 1941 और वदिशी वषियक अधकिरण आदेश, 1964 के तहत FT के सदस्यों के रूप में नयिकुत कयिा गया है।
 - प्रकार्य:**
 - 1964 के आदेश के अनुसार, FT के पास कुछ वशिषिट मामलों में सविलि न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं जनिमें कसिी व्यक्ती को बुलाए जाने और उसकी उपस्थति सुनिश्चित करने, शपथ पर उसका परीक्षण करने तथा कसिी आवश्यक दस्तावेज़ को पेश करवाए जाने, जैसी शक्तियाँ शामिल हैं।
 - अधकिरण को संबंधति प्राधकिारी से संदर्भ प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर वदिशी होने के अभयिकुत व्यक्ती को अंगरेज़ी या राज्य की आधकिारकि भाषा में नोटसि देना आवश्यक है।
 - FT को संदर्भ के 60 दिनों के भीतर मामले का नपिटारा करना होता है।
 - वदिशियों वषियक अधनियिम की धारा 9 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधनियिम, 1872 में कसिी बात के होते हुए भी यह साबति करने का भार कसि संबद्ध व्यक्ती वदिशी है या नहीं, उसी व्यक्ती पर होगा।
 - यदि व्यक्ती नागरकिता का कोई सबूत देने में वफिल रहता है तो FT उसे बाद में नरिवासन के लयि डरिंशन सेंटर, जसि अब ट्रांज़िटि कैप कहा जाता है, में भेज सकता है।
 - वदिशी अधकिरण के आदेश के वरिद्ध अपील:**
 - संबद्ध व्यक्ती द्वारा समीक्षा आवेदन आदेश की तथिसे 30 दिनों के भीतर दायर कयिा जा सकता है और FT मामले का गुण-दोष के

आधार पर नरिणय करेगा ।

- FT द्वारा प्रतकिल आदेश दयि जाने की स्थति में उसके वरिद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और उसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर की जा सकती है ।

अधकिरणों से संबंघति सांघधानकि प्रावधान

- इसे 42वें संशोधन अधनियम, 1976 द्वारा शामिल कयिा गया था ।
 - अनुच्छेद 323-A प्रशासनकि अधकिरणों से संबंघति है ।
 - अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों के लयि अधकिरणों से संबंघति है ।

असम की सीमा पुलसि की क्या भूमकि है?

- असम पुलसि सीमा संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में पाकसितानी घुसपैठ की रोकथाम (PIP) योजना के तहत राज्य पुलसि की वशिष शाखा के एक हसिसे के रूप में की गई थी ।
- इस संगठन को वर्ष 1974 में एक स्वतंत्र इकाई बना दयिा गया ।
- इस इकाई के सदस्यों को अवैध वदिशयिों का पता लगाने और उन्हें नरिवासति करने तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त करने का कार्य सौपा गया है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2009)

1. केंद्रीय प्रशासनकि न्यायाधकिरण (CAT) की स्थापना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के काल में की गई थी ।
2. CAT के सदस्य न्यायकि और प्रशासनकि दोनों क्षेत्र से संबंघति हो सकते हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. “केंद्रीय प्रशासनकि अधकिरण जसिकी स्थापना केंद्रीय सरकार के करमचारयिों द्वारा या उनके वरिद्ध शकियतों एवं परविादों के नविरण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायकि प्राधकिरण के रूप में अपनी शक्तयिों का प्रयोग कर रहा है ।” व्याख्या कीजयि (2019)